

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 209 / 2013

तारीख रजु 26.12.2013

## उनवान

मुस. शान्ति देवी पुत्री दौजी पनि धूजीराम जाति जाटव निवासी भौदूकापुरा तन हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली

—-वादीया

## बनाम

भागचन्द पुत्र हरेत वगै० जाति जाटव निवासी जहानाबाद तह० हिण्डौन जिला करौली

—-प्रतिवादीगण 40

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं


निर्णय

दिनांक 11.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम जहानाबाद तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 524, 528, 529, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 43/180, 535, 536, 537, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 704, 705, 706, 708, 717, 724, 725, 726, 727, 728, 731, 732, 784, 785, 716, 722, 786 डिवीजन आफ होल्डिंग एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादीया प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः सायल का दावा मुकदमा नंबर 209/2013 मुस. शान्ति देवी बनाम भागचन्द वगै० नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
11.03.2020  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

